



खुले विज्ञापन के विरुद्ध सांस्कृतिक कोटा के तहत वर्ष 2025-26 में लेवल-2 पर भर्ती

रोजगार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर/ सांस्कृतिक/03/2025 दिनांक 28.11.2025

लिखित परीक्षा की दिनांक 15.03.2026 को आयोजित किए जाने के बाद योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन हेतु दिनांक 27.07.2026 को बुलाया गया तथा दस्तावेज़ सत्यापन में जो उम्मीदवार योग्य पाया गया उसको प्रैक्टिकल प्रदर्शन के लिए दिनांक 28.07.2026 को बुलाया गया, जिसका परिणाम निम्नलिखित विषयों में नीचे दिया गया है

- 01) ताल वाद्य यंत्र वादक
- 02) शास्त्रीय गायक-पुरुष/महिला

निम्नलिखित दो उम्मीदवारों को संबंधित विषय के लिए अस्थायी रूप से पैनल में सम्मिलित किया गया है:

क्रमांक.	पंजीकरण संख्या.	उम्मीदवारों के नाम (श्री/श्रीमती/श्रीमान)	सांस्कृतिक विषय
01.	CRC25971006001	चिन्मय विजय कर्वे	शास्त्रीय गायक- पुरुष/महिला
02.	CRC25980805001	विमर्श मालवीय	ताल वाद्य वादक

नोट:

- नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन है।
- पैनल में शामिल उम्मीदवारों को नियत समय में नियुक्ति प्रस्ताव का व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होगा। इस संबंध में आरआरसी /वाडीबंदर में कोई पूछताछ नहीं की जानी चाहिए।
- पद और यूनिट का आवंटन नियत समय में तय किया जाएगा और यह रिक्तियों की उपलब्धता, चिकित्सा परीक्षण में फिटनेस, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन आदि तथा संबंधित मंडलों/यूनिटों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा। नियुक्ति प्रस्ताव संबंधित यूनिट द्वारा भेजा जाएगा।
- पैनल तैयार करते समय उचित सावधानी बरती गई है। फिर भी, आरआरसी /मध्य रेलवे किसी भी बाद के चरण में अस्थायी रूप से घोषित पैनल में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी चरण में कोई विसंगति या अनियमितता पाई जाती है या इस कार्यालय के संज्ञान में लाई जाती है, तो आरआरसी /मध्य रेलवे किसी अनजाने में हुई त्रुटि या टाइपोग्राफिकल/प्रिंटिंग संबंधी गलतियों को सुधारने तथा किसी उम्मीदवार को असफल घोषित करने या अधिसूचित पैनल से उम्मीदवार का नाम हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में आरआरसी /मध्य रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।
- यह केवल एक पैनल है और इससे उम्मीदवारों को रेलवे सेवा में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- पैनल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।